न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:–8/19

दायर दिनांक:–01.07.2019

निर्णय दिनांक :–20.12.2019

उनवान

1. अर्जुन पुत्र परमा उम्र 48 वर्ष जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)। (फौत)

1/1–गंगाराम पुत्र अर्जुन उम्र 58 वर्ष जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)।

1/2–कुंजीलाल पुत्र अर्जुन जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)। (फौत)

1/2/1–रामकुमार पुत्र कुंजीलाल उम्र 36 वर्ष जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।

1/2/2–जगदीश पुत्र कुजीलाल उम्र 25 वर्ष जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।

1/2/3–रामकन्या पुत्री कुंजीलाल उम्र 32 वर्ष जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।

1/2/4–राजवती पुत्री कुंजीलाल उम्र 30 वर्ष जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।

1/2/5–ममता पुत्री कुंजीलाल उम्र 28 वर्ष जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।

1/2/6–लक्ष्मी पुत्री कुंजीलाल उम्र 24 वर्ष जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।

1/2/7–शबदां पत्नि कुंजीलाल उम्र 56 वर्ष जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।

1/3–प्रेमी पुत्र अर्जुन उम्र 48 वर्ष जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।

1/4–भागवती पुत्री अर्जुन उम्र 60 वर्ष जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।

1/5–सम्पतिया पुत्री अर्जुन उम्र 50 वर्ष जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।

उप खण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारॉ (राज०)

Scanned by CamScanner

1/6–जनकोबाई पत्नि अर्जुन उम्र 80 वर्श जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।

2. जस्सो पत्नि स्व. प्यारे जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)। (फौत)
3. श्यामा पुत्र रामचरण जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)। (अविवाहित फौत)
4. सुदामा पुत्र रामचरण उम्र 22 वर्श जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।
5. सावित्री पत्नि रामचरण उम्र 55 वर्श जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।
6. मदन पुत्र गोरधन उम्र 35 वर्श जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।
7. अमन पुत्र गोरधन उम्र 30 वर्श जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।
8. गुलाब पत्नि गोरधन उम्र 58 वर्श जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।
9. कालीचरण पुत्र विरजा उम्र 35 वर्श जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।
10. अमरसिंह पुत्र बिरजा उम्र 32 वर्श जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।
11. बटो पत्नि बिरजा उम्र 60 वर्श जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।
12. पप्पू पुत्र फोसू उम्र 40 वर्श जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।
13. राजेन्द्र पुत्र फोसू उम्र 35 वर्श जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.)।
14. नैनी पत्नि फोसू जाति सहरिया निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां(राज.)। (फौत)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भूपेन्द्र पुत्र रतनलाल जाति अहेडी निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान।
2. राजेश पुत्र रतनलाल जाति अहेडी निवासी बाल्दा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉं (राज०)

Scanned by CamScanner

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– 1. हेमराज नामदेव अभिभाशक (प्रार्थी)

2. अरविन्द शर्मा अभिभाशक (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

वाकेग्राम बाल्दा पटवार क्षेत्र बालदा तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 10.13 बीघा किस्म बारानी चाहरूम स्थित है, जिसे प्रार्थनापत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 के नाम हिस्सा 1/2, प्रार्थी कम 2 लगायत 8 के नाम हिस्सा 1/6, प्रार्थी कम 9 लगायत 11 के नाम हिस्सा 1/6 तथा प्रार्थी कम 12 लगायत 14 के नाम हिस्सा 1/6 से सामलाती खाता दर्ज है। जिसका मौके पर प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 के तथा प्रार्थी कम 2 लगायत 14 के पूर्वजों ने आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा है। मुताबिक बंटवारा उक्त विवादित आराजी का दक्षिणी हिस्सा 1/2 रकबा 5.06 बीघा प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 के पिता परमा के पास आया, जिस पर परमा अपने जीवन पर्यन्त काबिज हो काश्त रहे तथा इसी अनुसार प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 ने जब से होश संभाला है, काबिज हो निरन्तर काश्त करता चले आ रहे है। प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 की उक्त विवादित हिस्सा आराजी 1/2 के पूरब में–मंगल सहरिया का खेत, पश्चिम में–अप्रार्थीगण का खेत, उत्तर में–विवादित आराजी हिस्सा 1/2 जो प्रार्थी कम–2 लगायत 14 के नाम दर्ज है तथा दक्षिण में–धन्नू सहरिया का खेत स्थित है। अप्रार्थीगण आपस में सगे भाई होकर धनाढय, प्रभावशाली तथा ताकतवर लोग हैं, जिन्होने दिनांक 17/06/2019 को बिना किसी अधिकार के जबरन ताकत के बल पर ट्रेक्टर मय कल्टीवेटर से प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 की उक्त विवादित आराजी हिस्सा 1/2 के पश्चिमी भाग करीब 2.10 बीघा को प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 के रोकने व मना करने के बावजूद हांक दिया है और वर्शात होते ही फसल बोकर कब्जा करने की धमकी दी है, अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य व धमकी से प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 के हकूक मालिकाना विवादित आराजी दक्षिणी हिस्सा 1/2 को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है, यदि प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 की विवादित आराजी हिस्सा 1/2 के पश्चिमी भाग करीब 2.10 बीघा पर अप्रार्थीगण ने फसल बोकर कब्जा कर लिया और प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं हो सकेगा, चूंकि उक्त विवादित आराजी हिस्सा 1/2 प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 परिवार की उदरपूर्ति का मात्र सहारा है, इस कारण परिवार भूंखों मरने की नौबत आ जावेगी। इस कारण प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 विरूद्व अप्रार्थीगण अस्थायी निशेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 के खाते तथा कब्जेकाश्त की विवादित आराजी दक्षिणी हिस्सा 1/2 के पश्चिमी भाग 2.10 बीघा पर फसल बोकर कब्जा कर लेंगे और आराजी से प्रार्थी कम–1/1 लगायत 1/6 को बेदखल करने में कामयाब हो जायेंगे, जिससे प्रार्थीगण के वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा। यह कि प्रार्थी कम–2 जस्सो फौत हो चुकी है, जिसके प्रार्थीकम 3 लगायत 8 ही वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी हैं, जिनकी ओर से प्रार्थनापत्र पेश है, प्रार्थी कम–3 श्यामा अविवाहित फौत हो चुका है, जिसके प्रार्थी कम–4 व 5 ही भाई व माता होकर वैधानिक

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉ (राज०)

Scanned by CamScanner

वारिस होकर पक्षकार हैं, जिनकी ओर से प्रार्थनापत्र पेश है तथा प्रार्थी कम–14 नैनी फौत हो चुकी है, जिसके प्रार्थी कम–12 व 13 ही वैधानिक वारिस पुत्र होकर पक्षकार हैं, जिनकी ओर से प्रार्थनापत्र पेश है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र की सभी मदों को अस्वीकार करते हुये कथन किया गया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सामलाती दर्ज है, जिसका बटबारा होना अस्वीकार है, चतुर्थ सामायें अस्वीकार हैं। विवादित भूमि का नियमानुसार विभाजन हुये प्रार्थीकम–1/1 से 1/6 का पर्टीक्यूलर पीस आफ लेंड पर कोई अधिकारी नहीं है। प्रार्थनापत्र में प्रार्थीकम–1, 1/2, 2, 3, 14 मृतक व्यक्ति हैं, जिनकी ओर से प्रार्थनापत्र संधारणीय नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 462/4 रकबा 5.00 बीघा पर काबिज है, जिस पर प्रार्थनापत्र की आड में कब्जा करने की नीयत से प्रार्थनापत्र पेश किया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा विवाद करने की वजह से भूमि की पैमाईश भी करवा ली, अप्रार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विन्दुबार विवेचना इस प्रकार से है:–

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में स्वयं को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 460 रकबा 10.13 बीघा ग्राम बाल्दा तहसील शाहाबादका संयुक्त खातेदार होना बतलाते हुये कथन किया है कि उक्त भूमि का प्रार्थीगण के पूर्वजों ने आपसी सहमति से बटबारा कर रखा है, मुताबिक बटबारा वादग्रस्त भूमि का दक्षिणी हिस्सा 1/2 (5.06 बीघा) प्रार्थीकम 1/1 लगायत 1/6 के पिता परमा के पास आया, जिस पर परमा जीवनपर्यन्त काश्त करते रहे और इसी हिस्से पर प्रार्थीकम 1/1 लगायत 1/6 ने भी जब से होश संभाला है, तब से निरन्तर काबिज काश्त हैं। इसके विपरीत अप्रार्थी ने अपनी खातेशुदा भूमि खसरा नम्बर 462/4 के रकबा 5.00 बीघा पर स्वयं को काबिज काश्त होने का कथन किया है और प्रार्थीगण द्वारा सीमा विवाद किया जाने का कथन किया है। जबाव के साथ सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रति भी पेश की है। प्रार्थनापत्र तथा जबाव प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों से मामला सीमा विवाद का प्रतीत होता है, जिसका निर्णय मूल वाद में उभयपक्ष की साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त किया जावेगा, तब तक रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेशण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे मूल वाद के अन्तिम रूप से निस्तारण होने तक वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 10.13 बीघा ग्राम बालदा पटवार हल्का बालदा तहसील शाहाबादबावत मौके की यथास्थिति कायम रखेंगे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज०)

02-Jan-20 1:52:44 AM

Scanned by CamScanner